बिहार विकास मिशन

(मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के शासकीय अधीन)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम कैम्पस,
हॉस्पिटल रोड, राजवंशी नगर, पटना–800023
दूरभाष संख्याः–0612–2285262

सं0सं0:–बि0वि0मि0–स्था0(बैठक)–01/25..1429.......पटना, दिनांक..31/7/26........

–:: आदेश ::–

मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन के कार्यकारी समिति की दिनांकः–03.07.2026 को सम्पन्न 11वीं बैठक की कार्यवाही ज्ञापांकः–1409, दिनांकः–23.07.2026 के कार्यावली संख्याः–03(ii) के आलोक में बिहार विकास मिशन में सभी पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों की सेवा बिहार विकास मिशन की योजना अवधि तक/सेवानिवृति की सामान्य आयु पूरा होने तक/सेवा संतोषप्रद रहने तक, जो भी पहले हो, तक विस्तारित करने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(क) अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषजनक सेवा के कारण या सेवानिवृति की सामान्य आयु पूरा होने पर योजना अवधि के पूर्व भी सेवा समाप्त हो जायेगी/की जा सकेगी।

(ख) संविदा नियुक्ति की अन्य शर्तें नियुक्ति के समय निर्गत नियुक्ति पत्र, एकरारनामा एवं क्षतिपूर्ति बंधक पत्र में अंकित शर्तों के अनुरूप प्रभावी होंगे।

2. उपर्युक्त व्यवस्था के क्रम में संविदा कर्मियों के प्राप्त होने वाले वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का मूल्यांकन किया जायेगा। कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने/ नियंत्री पदाधिकारी द्वारा सेवा वापस किये जाने अथवा प्रतिकूल मंतव्य प्राप्त होने अथवा अन्य किसी प्रकार की प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने की स्थिति में HR Manual के सुसंगत प्रावधानों के तहत् संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के अंतर्गत संविदा कर्मियों द्वारा एक एकरारनामा हस्ताक्षरित की जायेगी, जो कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन हेतु बिहार विकास मिशन के स्तर से तैयार किया जायेगा।

4. उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा संबंधित संविदा कर्मियों द्वारा संशोधित एकरारनामा प्रारूप पर हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा।

5. उपर्युक्त प्रावधान को बिहार विकास मिशन के HR Manual में समाहित किया जाता है।

31/7/2026

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सदस्य सचिव
बिहार विकास मिशन

ज्ञापांकः–बि0वि0मि0–स्था0(बैठक)–01/25 1429 **पटना, दिनांक** 31/7/26

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव/मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/2026

सदस्य सचिव
बिहार विकास मिशन

ज्ञापांकः–बि0वि0मि0–स्था0(बैठक)–01/25 1429 **पटना, दिनांक** 31/7/26

प्रतिलिपि :– मुख्य महाप्रबंधक/अपर निदेशक (प्रोग्राम मॉनिटरिंग)/अपर निदेशक (प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन)/सभी महाप्रबंधक/सभी उप मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/2026

सदस्य सचिव
बिहार विकास मिशन

3.50 P.M
31/7/26